न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–207/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/207)

1. श्री लक्ष्मण वल्द नेताजी जाति रावत आयु 65 साल निवासी गांव थल का बाडिया तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गोमी पुत्री दल्ला जाति रावत पत्नि रामसिंहजी अब मृतक बजाय उसके वारिसान–:
   1/1 बाबू वल्द रामा जाति रावत निवासी रायता का खेडा राजियावास।
   1/2 लक्ष्मण वल्द रामा जाति रावत निवासी गांव सेन्दडा।
   1/3 श्रीमती भंवरी पत्नि धीसीसिंहजी पुत्री रामाजी जाति रावत निवासी गांव बाणिया का तलाब–बिजोलिया।
2. श्रीमती झमकु पुत्री दल्ला जाति रावत पत्नि धन्नासिंहजी।
3. श्रीमती तीजी पुत्री दल्लाजी जाति रावत पत्नि मेथाजी समस्त जाति रावत निवासी गांव सेन्दडा तहसील रायपुर जिला पाली राजस्थान। बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज, जायदाद दल्ला वल्द पन्नाजी जाति रावत निवासी थल का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए भू धारक तहसीलदार मसूदा।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, मसूदा, दिनांक 09.03.2018 अंतर्गत वाद संख्या 14/2011.

उपस्थितः–

1. श्री ज्ञानचंद गादिया, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मनोज कोटिया, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1.
3. श्री ओ.पी.भट्ट, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3.
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04.
5. रेस्पोडेंट संख्या 1/2, 1/3, 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–07.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 14/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी लक्ष्मण ने सहायक कलक्टर मसूदा के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया। वादी ने उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा के न्यायालय में घोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती का वाद दायर किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस तामिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किए गए। प्रतिवादी की तलबी के पश्चात प्रतिवाद पत्र पेश किया गया है जिसमें वादी के कथनों को इंकार किया, दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया एवं तनकीयात कायम कर वादी की साक्ष्य ली गई किंतु वादी से कोई जिरह नहीं की गई व न ही प्रतिवादीगण ने अपने अभिकथनों के समर्थन में व वादी द्वारा दी गई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अध्ययन किए वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 14/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1/1, व उनके अभिभाषक बरवक्त बहस अनुपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2, 1/3, 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या साबिक 2147 रकबा 0–19–0 किस्म चाही 01 अपीलार्थी–वादी लक्ष्मण के पिता नेता वल्द पहाड़ा कौम रावत की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी। इसी कारण जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में नेता वल्द पहाड़ा का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित था। उक्त आराजी खसरा संख्या 2147 के नए खसरा संख्या 2524 रकबा 0–9–10 चाही 1 बने। उक्त आराजी खसरा संख्या 2147 के आधे भाग को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज श्री दल्ला वल्द पन्ना कौम रावत निवासी झाक बाडिया को जरिए पंजीकृत बेचाननामा सन 1972 के पूर्व बेचान कर दी गई थी जिसका नामांतरकरण खरीददार दल्ला वल्द पन्ना कौम रावत साकिन झाक बाडिया थल का के नाम खुल गया व बकाया आधा हिस्सा वादी–अपीलार्थी का नाम नेता वल्द पहाडा का उत्तराधिकारी होने के कारण उत्तराधिकार में प्राप्त होने से अंकित हो गया। जो हिस्सा दल्ला वल्द पन्ना को बेचान किया गया था वही हिस्सा आराजी वादी/अपीलार्थी ने वापस जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 21.5.1972 को दल्ला वल्द पन्ना कौम रावत से बहुमुल्य प्रतिफल के बदले क्रय कर कब्जे में वापस ले लिया जिसका नामांतरकरण आज दिवस तक वादी/अपीलार्थी के नाम नहीं खोला जा सका, जिसका ही वाद वादी ने उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में पेश किया था। वादी/अपीलार्थी दिनांक 2.2.2007 को शिविर प्रभारी को दाखिल खारिज खोलने बाबत आवेदन पत्र पेश किया था जिसकी रिपोर्ट भी शिविर प्रभारी ने हल्का पटवारी से तलब की थी जो मूल ही शिविर प्रभारी के पास रह गई उसकी छायाप्रति वादी/अपीलार्थी के पास रही। वाद दायरी के समय व उसके पश्चात उक्त जमाबंदी व प्रार्थना पत्र दिनांक 2.2.2007 वादी/अपीलार्थी अपनी पेटी में रखकर भूल गया था एवं काफी तलाश किए जाने के बावजूद भी वाद दायरी के समय व दौराने वाद उपलब्ध नहीं कर पाया था व दिनांक 16.12.2021 को जब वादी/अपीलार्थी ने किसी अन्य कार्य से अपनी पेटी खोली तो उक्त जमाबंदी व प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जो कि वाद विषय से संबंधित है व अपील के अंतिम निस्तारण सुसंगत दस्तावेज है जिसे की रेकार्ड पर लिया जाना उचित आवश्यक व न्यायसंगत है अन्यथा वादी/अपीलार्थी न्यायप्राप्ति से ही वंचित रह जाएगा व उसके साम्पतिक अधिकार मारे जाएंगे। दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिए जाने से प्रत्यर्थीगण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी क्योंकि वे तो वादग्रस्त आराजी पंजीकृत बेचाननामा, बेचान कर कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सम्भला चुके एवं उक्त बेचाननामा के आधार पर नामांतरकरण वादी/अपीलार्थी के नाम नहीं खोला गया व यदि खोल दिया गया होता तो प्रतिवादीगण उसकी प्रतिलिपि पेश कर देते। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करावे।

5. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 20.3.2018 को ही हो पाई थी व उसने उसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर दिया था व प्रतिलिपि दिनांक 22.3.2018 को प्राप्त करने हेतु आवेदन कर दिया था व प्रतिलिपि दिनांक 22.3.2018 को प्राप्त हुई व अपील दिनांक 7.5.2018 तक पेश कर देनी चाहिए थी किंतु अपीलार्थी सांस की तकलीफ से पीड़ित हो गया था अतएव अपने वकील से संपर्क न कर सका व न ही फीस व खर्चे की व्यवस्था कर पाया अलावा इसके अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है अतएव अपील पेश करने में लगभग सात दिन का विलम्ब हो गया है जिसे क्षमा किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किए बिना वाद खारिज कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड पर प्रतिवादी संख्या 01 गोमी के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/3 रेकार्ड पर ले लिए गए व जिसका तरमीम उनवान भी पत्रावली पर दिनांक 18.6.2014 को पेश कर दिया किंतु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में इन वारिसान का नाम अंकित न कर व मृतक गोमी के पक्ष में डिक्री पारित कर भारी भूल की है, विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि न तो मृतक के विरूद्ध व न ही मृतक के पक्ष में डिक्री पारित की जा सकती है। अतएवं भी अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय व डिक्री इसी आधार मात्र पर निरस्त कर मामला सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व अभिलेखों से व पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 31.3.1972 से प्रमाणित कर दिया था कि वादी ने वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2147 में से रकबा 0–10–0 आराजी बहुमुल्य प्रतिफल के बदले क्रय कर कब्जा प्राप्त किया साथ ही अन्य चाह का हिस्सा भी क्रय किया, खसरा संख्या 2147 के हाल खसरा संख्या 2524 रकबा 00–9–10 व खसरा संख्या 2525 रकबा 0–9–10 व खसरा संख्या 2525 रकबा 0–9–10 बने राजस्व अभिलेखों में बेचाननामा दिनांक 21.3.1972 के अनुसार नामांनकरण नहीं खोला गया व न ही जमाबंदी में वादी/अपीलार्थी का नाम अंकित किया गया, साबिक खसरा संख्या 2147 पुरे का खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त वादी के पिता नेता वल्द पहाडा था व उनके स्वर्गवास के बाद वादी ही खातेदार काश्तकार हो गया व वादी ने ही खसरा संख्या 2147 रकबा 00–19–00 में से 00–10–00 भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज दल्ला वल्द पन्ना को बेचान की थी जिसका नामांतरकरण खसरा सख्या 2525 रकबा 00–9–10 खरीददार दल्ला वल्द पन्ना के नाम खोला गया व पुनः वादी ने अपने द्वारा बेचान की गई आराजी दल्ला वल्द पन्ना से ही जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 21.3.1972 खरीद कर कब्जे में ले ली, अतएव पूर्व से ही बकाया रही जमीन का खातेदार वादी रहा एवं उसके द्वारा क्रय की गई आराजी का नामांतकरण वादी के नाम नहीं खोला गया। इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर वाद खारिज कर दिया। वादी द्वारा पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अखण्डित रही

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रतिवादीगण ने जो आपत्ति प्रतिवाद पत्र में ली उस बाबत किसी भी तरह की दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की, वादी द्वारा जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 21.3.1972 का नामांतकरण वादी के नाम हो गया होता तो वे नामांतकरण की प्रतिलिपि पेश कर देते, किंतु कोई नामांतकरण ही नहीं हुआ अतएव वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय को डिक्री करना चाहिए था क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी की साक्ष्य अखण्डित रही व उसे न माने जाने का कोई कारण विद्यमान नहीं था। जब विक्रेता, दल्ला ने आराजी खसरा संख्या 2147 का अपना रकबा बेचान कर दिया इसके बावजूद भी उक्त खसरा 2147 के नए बने नम्बर 2525 में उसका नाम नहीं रहना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर तनकियात की रचना न कर व मनमाने रूप से तनकीयात की रचना कर भारी भूल की है अधीनस्थ न्यायालय को तनकी संख्या 1 व 2 पर अलग–अलग फाईन्डिग देनी चाहिए थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 व 2 एक साथ तय कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बेचाननामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती न किए जाने व यह आपत्ति देकर की उसके द्वारा खरीद की गई आराजी का नामांतकरण उसके नाम खोला जा चुका है बिना किसी आधार के फाइन्डिग देकर भारी भूल की है।' अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 14/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 के जवाब में कथन किया कि उक्त दस्तावेज अविधिक दस्तावेज की श्रेणी में आने से रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता और किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है जो कि अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में सहायक हो। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी का ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ था, इसलिए यह कथन कि उनको आदेश की जानकारी नहीं है, गलत है। प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये गये है वह पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 2147 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 श्री दल्ला के खातेदारी में थी जिसका 1/2 हिस्सा स्व0 श्री दल्ला ने वादी को बेचान कर दी जिसका आधे हिस्सा का नामांतरकरण संख्या 2524 का खुल चुका है बाकि 1/2 हिस्सा स्व0 दल्ला का रहा जिसका खसरा नम्बर 2525 रहा है जिसको स्व0 दल्ला ने कभी भी वादी को बेचान नहीं किया ना ही वादी का कब्जा काश्त ही रहा व मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का ही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 दल्ला ने वादी को कभी भी बेचान नहीं किया बल्कि साबिक खसरा संख्या 2141 का 1/2 हिस्सा बेचान किया जिसका नामांतरकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

वादी के नाम खुल चुका है जिसके खसरा नम्बर 2524 है व साबिक खसरा नम्बर 2147 के हाल खसरा नम्बर 2525 जो स्व0 दल्ला का था व वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का है जिसकी पूर्ण जानकारी वादी को होते हुए भी वादी की नियत खराब होने के कारण मनगढंत कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी संसख्या 1 से 3 को गुमराह करने की नियत से उपरोक्त वाद पेश किया है जिसका कोई आधार व औचित्य नहीं है। वादी का खसरा संख्या 2525 से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है ना ही वादी का कब्जा काश्त है। विक्रय पत्र अनुसार वादी के नाम खरीदशुदा आराजी नवीन खसरा नम्बर 2524 रकबा 00–09–10 दर्ज हो चुका है जिसका कोई उल्ले वादी ने अपने वाद पत्र में नहीं किया है कि वह नवीन खसरा नम्बर 2524 वादी के नाम किस प्रकार से दर्ज हुआ। वादी ने वाद–पत्र क्लीनहेण्ड से परतुत नहीं कर तथ्यों को छिपाया हैं। इसलिए वादी नवीन खसरा नम्बर 2525 रकबा 00–09–10 बीघा में खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है तथा ना ही स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में जवाब दावा प्राप्त होने के पश्चात तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, तनकीयात पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं की हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें।

10. हमनें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. पर अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन संलग्न जमाबंदियॉ है, जो कि सरकारी दस्तोवज है तथा प्रमाणित प्रतिलिपिया है। जो उक्त विवादित आराजीयात बाबत प्रकरण में न्याय निर्णय में सहायक है। इसलिए न्यायहित में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख पर लिए जाने के आदेश दिये जाते है।

11. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होने से न्यायहित स्वीकार करना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

12. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक गोमी के विरूद्ध डिक्री पारित की थी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में गोमी के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जा चुके थे तथा उनकी ओर से वकील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो गये थे इसलिए अपीलांट का यह तर्क सारहीन हैं तथा पत्रावली के गुणावगुण पर हमने पाया कि वादी लक्ष्मण ने सहायक कलक्टर, मसूदा के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। वादी ने दस्तावेजात बेचाननामा दिनांक 21.03.1972

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमें दल्ला वल्द पन्ना कौम रावत साकिन झाक बाडिया थल ने क्रेता श्री लक्ष्मण वल्द नेता कौम रावत साकिन झाक बाडिया को खसरा संख्या 2147 रकबा 00–10–00 बिस्वा किस्म चाही बेचान किया जाना अंकित है। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति अनुसार ग्राम झाक के साबिक खसरा संख्या 2147 रकबा 00–19–00 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 2524 रकबा 00–09–10 व 2525 रकबा 00–09–10 बने हैं। ग्राम झाक की जमाबंदी सम्वत 2018–21 की छायाप्रति है जिसके खाता संख्या 559 में अन्य खसरान के साथ खसरा संख्या 2147 रकबा 00–19–00 किस्म चा0 1 नेता वल्द पहाडा कौम रावत सा देह मु0 पूर्व बंदोबस्त दर्ज है ग्राम झाक की प्रमाणित जमाबंदी संवत 2058–61 के खाता संख्या 247 में हाल खसरा संख्या 2525 रकबा 00–09–10 किस्म चा0 1 दला वल्द पन्ना कौम रावत सा0 देह बा0 थल का खातेदार दर्ज है। साबिक खसरा संख्या 2147 के बने नए नम्बर 2524 व 2525 में से हाल खसरा संख्या 2524 रकबा 00–09–10 किस्म चाही–1 वादी लक्षमण वल्द नेता के नाम से दर्ज है जिसका कोई उल्लेख वादी ने अपने वाद–पत्र में नहीं किया व नवीन खसरा नम्बर 2524 वादी के नाम किस प्रकार से दर्ज हुई। विक्रय पत्र अनुसार वादी के नाम खरीदशुदा आराजी नवीन खसरा नम्बर 2524 रकबा 00–09–10 दर्ज हो चुकी है। जब साबिक खसरा नम्बर 2147 में से रकबा 00–10–00 बिस्वा बेचाननामें अनुसार हाल खसरा नम्बर 2424 रकबा 00–09–10 वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जा चुका है। ऐसी स्थित में नवीन खसरा संख्या 2525 रकबा 00–09–10 वादी स्वयं को खातेदार दर्ज करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः वादी सेल डीड पेश नहीं की गई तथा उक्त आराजीयात बाबत साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा हाजा न्यायालय उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

13. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 14/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर